35

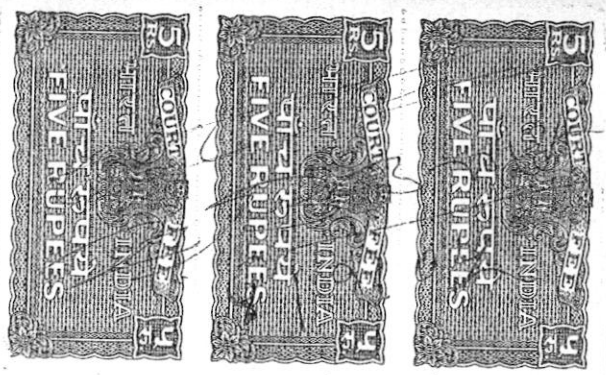

FIVE RUPEES COURT FEE INDIA

Cf-2015-2

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल,म०प्र०ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००५ पुनरावलोकन (रिव्यू)

रिव्यू 13 I/2005

१। सरस्वतीबाई विधवा पत्नी श्री ज्ञानचंद

२। अशोककुमार ३। राकेश कुमार

४। नरेन्द्रकुमार पुत्रगण श्री ज्ञानचन्द जैन

५। श्रीमती मोतीरानी पुत्री स्व० ज्ञानचन्द जैन पत्नी श्री महावीर प्रसाद

सभी निवासीगण ग्राम बशहपुरा, चक मुंगावली तहसील मुंगावली, जिला गुना, म०प्र०

---- आवेदकगण

...का आज दि० 4.1.05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

4 JAN 2005

विरुद्ध

१। रामभरोसे पुत्र श्री लक्खूसिंह

२। गौरीशंकर ३। वीरसिंह ४। मानसिंह

५। कल्लूसिंह पुत्रगण श्री रामभरोसे

६। महेन्द्रसिंह पुत्र श्री गौरीशंकर

सभी निवासीगण ग्राम भारतपुरा, तहसील मुंगावली, जिला गुना, म०प्र० ----

अनावेदकगण

पुनरावलोकन विरुद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर (श्री एम०के० सिंह) दिनांक ८-१०-२००४ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्रकरण क्रमांक ३८८ पी०बी०आर०।२००१ निगरानी ।

- -

श्रीमान,

पुनरावलोकन (रिव्यू) का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 13–एक/05 जिला –सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 388–अंध्यक्ष/01 में पारित आदेश दिनांक 8.10.04 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 13–एक/05 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 388–अध्यक्ष/01 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 8.10.04 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक रिव्यु 13–एक/05 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य